इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 182 / प्र0अ0-भवन / जोन-01 / 2011-12 दिनांक 20 / 06 / 2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु शर्त यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निर्विवाद या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री शेषधर त्रिपाठी एवं श्रीमती शारदा त्रिपाठी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा साईट नं0-31 / 1 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति आदेश दिनांक 04.01.2013 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपयोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.9 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 02 छायादार वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिभोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा। मानचित्र की स्वीकृति स्टिल्ट पार्किंग, अपर ग्राउन्ड, प्रथम एवं द्वितीय तल पर शाप्स के निर्माण की अनुमति दी जा रही है।
6. पार्किंग स्थल पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-डी / 4729 / P.W.D / 13 दिनांक 10.06.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना आवश्यक होगा। (छायाप्रति संलग्न)
8. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-यू0आई0डी0 / 2013 / इला0 / 0045 / सि0ला0 / 0024 दिनांक 22.02.2013 में अंकित प्रतिबन्ध बाध्यकारी होगा। (छायाप्रति संलग्न)
9. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा
10. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
11. अनार्जित भूमि / रोड वाइडनिंग / चकरोड की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Continued

12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

13. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

14. मानचित्र की स्वीकृति की अवधि मात्र पाँच वर्ष तक मान्य है।

15. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

16. यदि भूखण्डों का उप–विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

17. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

18. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0 भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

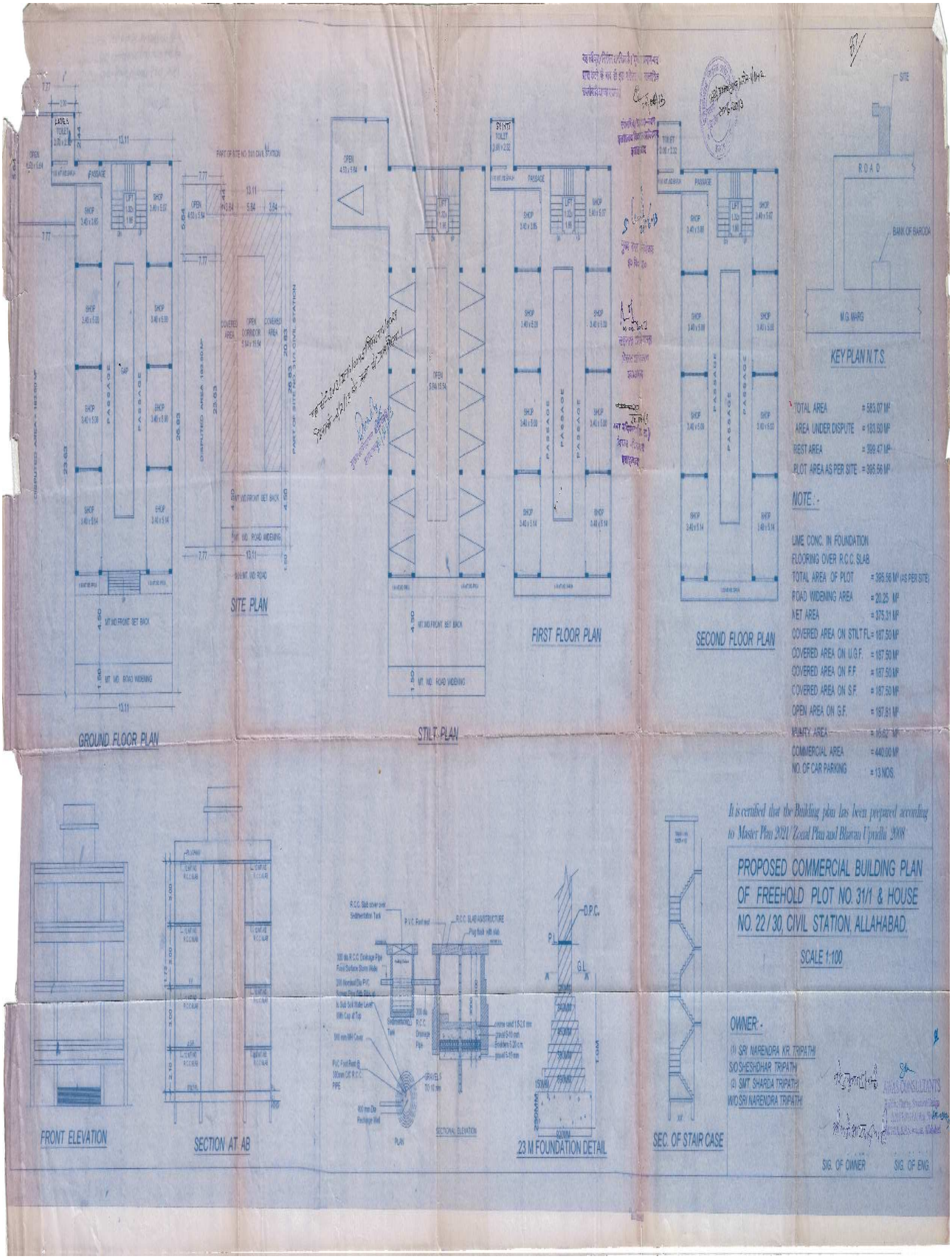

GROUND FLOOR PLAN
SITE PLAN
STILT PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
KEY PLAN N.T.S.
ROAD
BANK OF BARODA
M.G. MARG
SITE
SHOP
PASSAGE
OPEN
LIFT
TOILET
DISPUTED AREA 183.60 M²
PART OF SITE NO. 31/1 CIVIL STATION
MT. WD. FRONT SET BACK
MT. WD. ROAD WIDENING
TOTAL AREA = 583.07 M²
AREA UNDER DISPUTE = 183.60 M²
REST AREA = 399.47 M²
PLOT AREA AS PER SITE = 395.56 M²
NOTE :-
LIME CONC. IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C. SLAB
TOTAL AREA OF PLOT = 395.56 M² (AS PER SITE)
ROAD WIDENING AREA = 20.25 M²
NET AREA = 375.31 M²
COVERED AREA ON STILT FL.= 187.50 M²
COVERED AREA ON U.G.F. = 187.50 M²
COVERED AREA ON F.F. = 187.50 M²
COVERED AREA ON S.F. = 187.50 M²
OPEN AREA ON G.F. = 187.81 M²
MUMTY AREA = 16.62 M²
COMMERCIAL AREA = 440.00 M²
NO. OF CAR PARKING = 13 NOS.
It is certified that the Building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2008
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF FREEHOLD PLOT NO. 31/1 & HOUSE NO. 22 / 30, CIVIL STATION, ALLAHABAD.
SCALE 1:100
OWNER :-
(1) SRI NARENDRA KR. TRIPATHI S/O SHESHDHAR TRIPATHI
(2) SMT. SHARDA TRIPATHI W/O SRI NARENDRA TRIPATHI
SIG. OF OWNER
SIG. OF ENG.
FRONT ELEVATION
SECTION AT AB
SECTIONAL ELEVATION
PLAN
.23 M FOUNDATION DETAIL
D.P.C.
SEC. OF STAIR CASE